फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री महेश कुमार यादव निवासी E–548, लाल कोठी, सत्य विहार, जयपुर तहसील जयपुर ग्रेटर जिला जयपुर **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 109/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 09.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– सू0अ,05/2025/71 दिनांक 27.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील श्रीमान् को प्रस्तुत की गई है, जो इस कार्यालय को दिनांक 25.11.2025 को प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग राजसमन्द एवं जल संसाधन विभाग राजसमन्द से संबंधित होने से इस कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/2025/58 दिनांक 29.10.2025 द्वारा संबंधित विभाग को अन्तरण कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी करते हुए प्रार्थी को भी उक्त पत्रांक से सूचित किया गया था। आवेदन पत्र में चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन पत्र संबंधित विभाग को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित किया जा चुका है। अतः विचाराधीन अपील में इस कार्यालय से कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से विचाराधीन प्रथम अपील को इसी स्तर पर खारिज/निरस्त करने का श्रम करावे। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग राजसमन्द एवं जल संसाधन विभाग राजसमन्द से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/58	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दिनांक 29.10.2025 से सार्वजनिक निर्माण विभाग राजसमन्द एवं जल संसाधन विभाग राजसमन्द को निर्धारित समयावधी में अन्तरण किया गया था। लोक सूचना उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा निर्धारित समयावधी में अन्तरण किये जाने तथा उक्त संबंध में प्रार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)